राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

पत्रांक एफ 2(8)/आप्रसहा/~~लेखा~~ कार्य/राजकॉम्प/2011–12/9750-52 जयपुर 13.07.2020

बैठक का कार्यवाही विवरण

संयुक्त शासन सचिव महोदया, आपदा प्रबंधन एवं सहायता के निर्देशानुसार दिनांक 09.07.2020 को संयुक्त शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में डी.एम.आई.एस. सॉफटवेयर में आ रही समस्याओं के संबंध में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए:–

1. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. उपनिदेशक, सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग।
3. लेखाधिकारी, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
4. प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. श्री नंछुराम जाट, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
6. श्री आशीष जैन, श्री दिव्याशु गुप्ता, सॉफटवेयर टीम।
7. श्रीमति नीतू व्यास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

डी.एम.आई.एस. सॉफटवेयर में आ रही समस्याओं के संबंध में DMIS team से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गयी:–

1- विभाग द्वारा DMIS Software में Revert Option उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, जो Software team द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है।

2- DMIS Software team द्वारा पूर्व में Revised Demand Option Module उपलब्ध करवा दिया गया था लेकिन विभाग द्वारा Revised Demand Option में fresh इस वर्ष की डिमांड तथा गत वित्तीय वर्ष में lapse re-demand अलग–अलग मोडयूल बनाने के लिए कहा गया था। इस संबंध में DMIS Software team द्वारा fresh and lapse बजट के विरूद्व re-demand के अलग–अलग मोडयूल बनाकर लागू कर दिया था, जिसके कारण पूर्व में की गयी जिलो द्वारा डिमांड जो शासन सचिव महोदय से पत्रावली पर अनुमोदन करवा ली गयी थी उस पर लेखा

शाखा द्वारा जिलों को बजट आवंटन नहीं कर पा रहे थे। इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव महोदया द्वारा निर्देश दिया गया की नया मोडयूल लागू होने के कारण शासन सचिव महोदय से पत्रावली पर जो demand अनुमोदित करवा ली गयी थी उन्हें एक बार रिवर्ट कर प्रथक प्रथक प्राप्त कर पुनः अनुमोदन करवाकर जिलो को बजट आवंटन की कार्यवाही की जाये।

3- DMIS Software में Direct Demand Module and Direct Allotment को जल्द से जल्द बनाकर सॉफटवेयर में लागू करने का कहा गया, जिसमें DMIS Software team द्वारा यह बताया गया, जिला स्तर पर इस Direct Demand Module में कृषि आदान अनुदान, चारा एवं पशु शिविर के बजट हेड में आवंटन मांग पत्र प्रेषित नहीं कर पायेंगे। चारा डिपो एवं पशु शिविरों के मांगपत्र संबंधित पशु शिविर/चारा डिपो संचालक आवंटन पत्रों के आधार पर OIC Relief जिला कलक्टर कार्यालय के माध्यम से विभाग को प्रषित किये जायेंगे।

4- अन्य राहत सहायता में जिलों द्वारा आने वाली परेशानियों के संबंध में भी चर्चा की गयी। इस संबंध में वित्तीय सलाहकार द्वारा यह बताया गया की विभागीय स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार रिवोल्विंग फंड के रूप में संबंधित जिला कलेक्टरों को एकमुश्त राशि दे दी जाती है जिसमें से राशि 30000 रूपये तक जिलों में आने वाली विभिन्न प्रकार की आपदाओं में होने वाली प्रति व्यक्ति हानि का भुगतान जिला कलेक्टर स्तर पर ही अनुमोदन कर भुगतान कर दिया जाता है, एवं आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा रिवोल्विंग फंड के पुनर्भरण हेतु एकमुश्त Direct Demand प्रेषित की जाती है।

इस संबंध में DMIS Software team द्वारा बताया गया कि Software में अन्य राहत सहायता मोडयूल में राशि 30000 तक प्रति व्यक्ति को होने वाले नुकसान के लिये प्रार्थी DMIS Software के G2C में जाकर ऑनलाईन आवेदन करेगा, आवेदन को पटवारी के माध्यम से Relief OIC द्वारा फाइनल अप्रुव के बाद प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं पे–मेनेजर द्वारा बिल बनाकर IFMS में सबमिट करेगा।

5- DMIS Software team को जिला झालावाड के पत्र के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। सॉफ्टवेयर टीम द्वारा यह बताया गया कि IFMS से वेब मॉड्यूल के माध्यम से डाटा लिया जा रहा है। डाटा प्राप्त होते ही जिला झालावाड को फोन के माध्यम से सूचित कर दिया जावेगा।

6- लेखा शाखा द्वारा बतायी गयी विभिन्न प्रकार की नयी रिपोर्ट, रिपोर्ट में आने वाली भिन्नताओं एवं कमियों में सुधार एवं अन्य संशोधनों पर भी चर्चा की गयी। इस संबंध में जल्द ही कार्य करवाने हेतु कहा गया।

तत्पश्चात बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

संयुक्त शासन सचिव

पत्रांक एफ 2(8)/आप्रसहा/~~लेखा~~/राजकॉम्प/2011–12/ 945 जयपुर 13.07.2020

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर।
3. उप निदेशक, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव